

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)/से.नि./अलेसे-III / 37

दिनांक :- 10/03/2016

आदेश संख्या : 206/2015-16

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स. (1)	नाम (सर्वश्री) (2)	जन्मतिथि (3)	से.नि. तिथि (4)	वर्तमान पदस्थापन (5)	विशेष विवरण (6)
1*	केसरी चन्द सेठिया - [1169]	05/07/1956	31/07/2016	उप निदेशक/परियोजना निदेशक, कृषि अनुसंधान, सीएडी एवं एडीपी विभाग, बीकानेर - 15480	न्यायिक कार्यवाहियां एवं विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित
2	श्रीकरण दुसाद - [2949]	29/11/1956	30/11/2016	कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर - 1111	-

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि *अंकित कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- F4(ई)/से.नि./अलेसे-III / 37

दिनांक :- 10/03/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- ✓ 6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(प्रदीप साधु)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)